ماہنامہ

شعاع عمل لکھنؤ

جولائی ۲۰۱۵ء

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالیٰ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب

فزت ورب الکعبہ

رمضان



نورہدایت فاؤنڈیشن، حسینیہ غفرانمآبؒ، چوک، لکھنؤ-۳

R.N.I NO. UPBIL/2004/13526
Postal Regd. No. SSP/LW/NP-75/2014-16 Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month.

Annual Rs.200/-

Per copy-Rs.20/-

SHUA-E-AMAL

Lucknow

शुआ-ए-अमल

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ

July 2015



ज्ञंतइसं ज्संजवतं स्नबादवू



NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION

Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Ph.:0522-2252230

Per Copy 20/-
Annual 200/-

वर्ष 12 — अंक 1

बिस्मेही तआला

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन की

इस्लामी, ज्ञान व शोध

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

t g kbZ 2015 ई०

शुआ-ए-अमल

"लखनऊ"

न्यास संस्थापन

15 जमादिलऊला 1424 हि० / 16 जुलाई 2003 ई०

पत्रिका विमोचन

15 जमादिलऊला 1425 हि० / जुलाई 2004 ई०

पर्यवेक्षक:
मु० र० आबिद, गोलागंज लखनऊ

मिलने का पता

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इमामबाड़ा हज़रत ग़ुफ़रानमआब, मौलाना कल्बे हुसैन रोड, चौक, लखनऊ - 3

Phone No: 0522-2252230 Mobile No: 08736009814 — 09335996808

प्रकाशक मुद्रकः सैय्यद मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी द्वारा स्वामी एस कलबे जवाद नक़वी के लिए निज़ामी प्रेस विक्टोरिया स्ट्रीट अपोज़िट हसनैन मार्केट, चौक, लखनऊ (उ0 प्र0) से मुद्रित तथा नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन, इमामबाड़ा ग़ुफ़रानमआब, मौलाना कल्बे हुसैन रोड, चौक लखनऊ (उ0 प्र0) से प्रकाशित।
सम्पादकः सैय्यद मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी

R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526

▼▼▼

Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10

●●●

WEBSITE:
www.noorehidayatfoundation.org
www.naqeeblucknow.com

E_mail:
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com

वार्षिक अंशदान

1- एक साल के लिए 200/-
2- पांच साल के लिए 800/-
3- लाईफ़ मिम्बरशिप 4000/-

विषय सूची

जुलाई2015bZ0

jetkuqy eqckjd 1436 हि0

u0	ys[k o ys[kd	i"B
1.	**कुरआन की अधिकारिता** आयतुल्लाहिल उज़मा सै0 अली खामिनाई	5
2.	***रोज़े की हिकमत*** ***अल्लामा सै0 मुजतबा हसन कामूनपुरी***	7
3.	**वहाबी मत का सत्य (किस्त 10)** सैय्यदुल उलमा सैय्यद अली नक़ी नक़वी ताबासराह	9
4	**मुख्य समाचार** इदारा	17

कुरआन की अधिकारिता

y§kd %आयतुल्लाहिल उज़मा सय्यद अली खामिनाई
fgUnh %श्री उमेश दत्त

1. इस्लाम के पैग़म्बरस0 ने कुरआन की जो प्रशंसा की है (और जिस प्रकार उसका परिचय दिया है) आज इस्लामी पंथ के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। जिस प्रकार की परत दर परत अन्धियारी और काले बादलों से मुसलमानों के जीवन का वातावरण आज अन्धेरा है इससे पहले कभी न था। यह ठीक है कि इसका पहला चरण वह था जब इस्लामी ख़िलाफ़त, आसुरी साम्राज्य से बदली कुरआने करीम एक ऊपरी ढ़ंग के संस्कार (और रीतियों) में गिना जाने लगा। वह मुसलमानों के जीवन स्तर से बाहर हो गया। परन्तु बीसवीं सदी के अज्ञानकाल में राजनैतिक पेच व ख़म और प्रोपगेन्डे के ऐसे चरण में प्रविष्ट कर दिया गया है जो कहीं अधिक जोखिम और कहीं अधिक चिंतित करने वाली बात है।

2. सबसे बड़ा माध्यम और सर्वाधिक प्रभावकारी बहाना, जिसके द्वारा इस्लाम को एक किनारे किया जा सकता था, यही था कि कुरआन को मुसलमान जन साधारण के मन–मस्तिष्क के वातावरण से निकाल बाहर किया जाए। इस्लामी देशों में उपनिवेशवादी शक्तियों के आते ही यह काम केन्द्र बिन्दु और विदेशी सत्ता लोलुपों का व्यवहार बना गया, नाना प्रकार के ढ़ंग से यह रास्ता चुना गया।

3. कुरआन जिसे स्वयं इस पुनीत ग्रन्थ में नूर (ज्योति), हिदायत, (सत्यनिर्देश), सत्य को असत्य से अलग करने वाला, ज़िन्दगी, मीज़ान (तुला), शिफ़ा (स्वास्थ्य), ज़िक्र जैसे नाम दिये गये हैं उसी वक़्त इन विशेषताओं का प्रतीक बन सकेगा जब पहले सोपान में चिन्तन मनन का केन्द्र बिन्दु और दूसरे सोपान में व्यवहार की धुरी बनाया जाए।

4. प्रारम्भिक युग, इस्लामी शासन के काल में क़ुर्आन ही अन्तिम शब्द और निर्णायक अधिकारी था। यहां तक कि स्वयं हज़रत पैग़म्बर[स0] की बात को इसी कसौटी पर परखते थे समाज में कुरआन के विद्वान समुचित मान सम्मान के धनी थे। हुज़ूर[स0] ने लोगों को समझाया, ''मेरी उम्मत के गणमान्य लोग रात को जागने (नमाज़े शब) पढ़ने वाले और क़ुर्आन के हामिल है'' उसको अर्थ पूर्ण रूप में जानने वाले। और (उस पर चलने वाले)

5. कुरआन का हामिल होना क्या है? याद करना, उसका समझना और उस पर कार्यरत होना। उन दिनों यह गुण एक समाजी ''मूल्य'' था। जीवन की प्रत्येक कठिनाई में क़ुर्आन की ओर पलटते थे। किसी भी बात को मानने या न मानने प्रत्येक दावे को परखने और प्रत्येक आचरण के स्वीकार करने या न करने का माप दण्ड था। वह लोग सत्य और असत्य को कुरआन द्वारा पहिचानते थे। तत्पश्चात जीवन क्षेत्र में उसके दृष्टान्त देखते और निर्धारित करते थे। जब से इस्लामी समाजों पर लद जाने वाली शक्तियां इस्लामी मूल्यों से ख़ाली हाथ और अपरिचित होने लगीं उसी वक़्त से उन्होंने क़ुर्आन को जो सत्य और असत्य के बीच ''फ़ुरक़ान'' है, विभाजन रेखा खींचने वाला है, अपने लिए रूकावट समझना प्रारम्भ किया फिर इस अभियान का प्रारम्भ हुआ कि परमेश्वर की वाणी को जीवन के क्षेत्र से हटा दिया जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि धर्म समाजी जीवन से अलग और इहलोक परलोक से दूर हो गया और सच्चे धर्मधारियों और सांसारिक शक्ति चाहने वालों में ठन गयी। जीवन के क्षेत्रों और मुसलमानों के समाज में इस्लाम को प्रबन्ध और व्यवस्था के पद से हटा दिया गया। उसका

रिश्ता–नाता बस उपासना स्थलों, मस्जिदों और मानस के कोनों से समझ लिया गया है। इस प्रकार एक लम्बा घाटा पहुंचाने वाला भेद जीवन और धर्म के बीच उजागर हुआ पाश्चात्य अधिपत्य ईसाइयों और यहूदियों के सर्व दिशाई आक्रमणों से पहले अगरचे सच्चे अर्थ में कुर्आन जीवन के क्षेत्र में विजेता की स्थिति में न था। मगर यह अवश्य है कि मुसलमानों के मन–मस्तिष्क पर न्यूनाधिक उसका एक प्रभाव था। ईसाई और यहूदी आक्रमणकारी इसे भी सहन न कर सके। जो कुरआन खुला हुआ हुक्म देता है– ''उनके लिए तुम जितना बल और जितनी घोड़ों की शक्ति बटोर सकते हो, बटोरो।'' (सूरा–ए–अनफ़ाल आयत 60) जो कुर्आन फ़र्माता है,– ''और अल्लाह कदापि ईश्वर के न मानने वालों को ईमान लाने वालों पर वर्चस्व नहीं देगा (सूरा निसा, आयत41)'' जो कुरआन मोमिनों को एक दूसरे का भाई, शत्रुओं पर कड़ा ओर क्रोधित देखने की रूचि रखता है वह कुरआन ऐसे लोगों के लिए असहनीय था जो मुसलमानों के मुआमलों की लगाम अपने हाथ में लेकर उन का शोषण करके सब कुछ तबाह कर देना चाहते थे। यह सत्ता चाहने वाले भली भांति समझ चुके थे। जन साधारण की अपने जीवन में कुरआन से थोड़ा सा लगाव उनके प्रभाव और सत्ता के मार्ग को कठिन बना देगा। अतः उन्होंने कुरआन को सिरे से हटा देने की योजना बनाई। परन्तु यह योजना कदापि कार्यन्वित न हो सकेगी। खुदा ने इस्लामी पंथ से कुरआन की स्थाई सुरक्षा का वचन दिया है। यह होते हुए भी दुश्मनों के इस उद्देश्य को अंजाम तक पहुंचाने के इरादे और उनके नतीजों और प्रभावों की उपेक्षा न करनी चाहिए।

6. आज मुसलमानों की ज़िन्दगी पर एक दृष्टि डालिए, कुरआन कहां है? सरकारी संस्थाओं में है? आर्थिक व्यवस्था में है? सम्पर्क साधनों और आ़म लोगों के आपसी रिश्तों में है? स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में है? विदेशी सियासत या अन्य सरकारों से रिश्तों में कुरआन है? जनता के बीच क़ौमी पूंजी के बंटवारे में है? इस्लामी समाज के सरबराहकारों की आ़दतों में, राष्ट्रों और जातियों के विभिन्न वर्गों में जिनके थोड़े या अधिक प्रभाव हैं, इस्लामी आदेशों के व्यक्तिगत चलन में, नर–नारी के रिश्तों, में खाने–पीने में, पहनने ओढ़ने में? ज़िन्दगी की किस असली छवि में कुरआन है? सदनों में, बैंक डिपाज़िट में, रहन–सहन में, आख़िर इंसानों के अवामी और समाजी आन्दोलनों में कहां कुरआन है? ज़िन्दगी के इतने मैदान हैं। मस्जिदों और मीनारों, अ़वाम को रिझाने और मक्कारी के लिए रेडियों के कुछ प्रोग्राम अलबत्ता अपवाद हैं। मगर क्या कुरआन बस इसीलिए है? सैय्यद जमाल–उद–दीन सौ वर्षों पहले इस बात पर रोए थे उन्होंने रूलाया था कि कुरआन तोहफ़ा देने, सजावट व साज्जा, क़र्बिस्तान में तिलावत और ताक़ों में रखने के लिए रह गया है। बताइये कि सौ साल में कोई फ़र्क़ पड़ा है क्या कुर्बानी पंथ की हालत परेशान करने वाली नहीं है?

7. बात यह है कुरआन इंसानी ज़िन्दगी का ग्रंथ है और इंसान की कोई सीमा नहीं। इंसान प्रगतिशील है। मनुष्य के बहुत से पक्ष हैं, वह इंसान जिसकी प्रगतिशीलता की न हद है न सरहद। प्रत्येक क्षण वह अगुवा है, शिक्षक और सहायता करने वाला है। मनुष्य को सभ्य और उपयुक्त ज़िन्दगी बस कुरआन ही के द्वारा सिखाई जा सकती है। अत्याचार, वर्ग भेद, झगड़े–झंझट, सरकशी, नारवायी, रूसवाई, बेईमानी जो मानव इतिहास के लम्बे युग में हुई और इंसान के विकास और प्रगति में रूकावट रही हैं उसे कुरआन ही के माध्यम से दूर किया जा सकता है मानव जीवन का घोषणा पत्र कुरआनी निर्देश बनाते हैं मात्र वही कार्य योग्य हैं और बस।

8. कुरआन की तरफ़ पलटना इंसान के सभ्य जीवन की ओर पलटना है। इस क्रिया की ज़िम्मेदारी कुरआन पर ईमान रखने वालों पर सामान्य रूप से है और कुरआन मर्मज्ञ सज्जनों पर इनसे भी अधिक है। यह धर्माचारियों और धर्म उपदेशकों की ज़िम्मेदारी है।

9. कुरआन की तरफ़ पलटना एक नारा है। यह नारा अगर यथार्थ बन जाए तो यह यथार्थ सत्य–असत्य में फ़र्क कर दे। जो शक्तियां कुरआन की ओर पलटने को नहीं सह सकतीं मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी शक्तियों को बर्दाश्त न करें।

¼ckdhis uø 8 ij½



vYylek lS eqTrck g u dlewijh lkgc fdetyk

कुरआन मजीद में है–''ईमान वालों ! पिछली उम्मतों की तरह तुम पर भी रोज़ा वाजिब किया गया है ताकि तुम पहेज़गार बनो, यह रोज़े चन्द दिन के हैं। (सूरा 2 आयत 123)

इस आयत में रोज़े का मक्सद प्रहेज़गारी बताया गया है, प्रहेज़गारी इन्फ़िरादी ज़िन्दगी में, प्रहेज़गारी सियासी और इज्तिमाई ज़िन्दगी में, प्रहेज़गारी तसव्वुरात में, कौल में, प्रहेज़गारी अमल में, प्रहेज़गारी अम्न और सुल्ह की ज़िन्दगी में, प्रहेज़गारी जंग व मोख़ालफ़त के मौकिअ् पर। माह–ए–रमज़ान में खुदावन्द–ए–करीम ने कुरआन नाज़िल फ़र्माया। इस किताब ने कुल इंसानों को एक आदिलाना आईन और इरतका पसन्द निज़ाम व दस्तूर दिया। यह आमाल की तराज़ू, हक़ का क़ानून रूह की गिज़ा, अक़्ल की लज़्ज़त और दिल की शिफ़ा है। इस में आलम के कुल इंसानों के मसायिल को एक नुक्तः–ए–नज़र से देख गया हैं हर साल रमज़ान आता है और इस्लाम की इब्तिदाई ज़िन्दगी की याद ताज़ा करता है जिस में यह किताब–ए–मोकद्दस अता हुवी।

इस्लाम ने इस्लाह–ए–नफ़्स व इस्लाह–ए–मोआश्रत के लिये हैं उन में रोज़े भी हैं। इस महीने में रोज़े भी हैं। इस महीने में हम दो निअ्मतों से सरफ़राज़ हुवे––कुरआन की निअ्मत से और रोज़े की नेमत से यानी अिल्म व फ़िक्र की निअ्मत से और रोज़े की नेमत से जो इस फ़ैज़ के कुबूल करने का ज़रीआ है यानी रोज़ा।

रोज़े से नफ़्स की हिदायत होती है, हक़ में उसे सुकून मिलमा है और कुबूल–ए–हक़ से फ़रहत होती है, जिस्म के रज़ायिल दूर होते हैं। बुग्ज़ कीना, इन्तिकाम, शहवत, खुर्दनोश और जिंसी तुग्यानी की इस्लाह हो जाती है। रोज़ा कूवत–ए–इरादी में इस्तिहकाम पयदा करता है, इस से अज़ीयत और शदीद तकालीफ़ को बरदाशत करने की आदत होती है। जंग के दिनों में ज़ब्त–ए–नफ़्स और किफ़ायत शिआ्री की आवाज़ें बहुत सुनने में आती हैं। सच्चा मुसलमान अपने नफ़्स को बातिल से हर वक़्त और हर आन बरसर–ए–पयकार रखता है उसे ज़ब्त–ए–नफ़्स और क़िफायात शिआ्री की बहुत ज़रूरत है। रोज़े से हरसाल घर में कम से कम एक महीने यह तरबियत हासिल की जाती है। तमाम मरगूब चीज़े इन दिनों इख़्तियार और इरादे से छोड़ दी जाती हैं। न खाना न पानी न जिंसी तअल्लूक़। सब सुब्ह से शाम तक इम्कान के बावजूद हुक्म–ए–इलाही से, रिज़ा–ए–इलाही के लिये छोड़ दिये जाते हैं। इससे तसव्वुर–ए–इलाह के बेपनाह असर व जज़्बे का, इंसान की बन्दगी का बे मिसाल मुज़ाहरा होता है।

कुरआन मजीद में है कि ''सब्र (रोज़े) और नमाज़ से मदद लो'' (सूरा 2 आयत 45)। इमाम जाफ़र सादिक़ (अ0) से इस आयत में ''सब्र'' का मफ़्हूम पूछा गया तो हज़रत ने फ़र्माया कि रोज़े से सब्र व बरदाशत की बड़ी कूवत पयदा होती है बलकि सब्र अख़्लाक़ी कूवत की जान है। ज़िन्दगी के अरसः–ए–कशमकश से सब्र भी फ़ातिहाना गुज़रता हैं साबिर ही बशाशत व ख़ुश दिली से जान व माल का ईसार करता है इस लियं हदीस में है कि ''सब्र ईमान का आधा हिस्सा है'' और कुरआन में 70 बार से ज़ियादा सब्र व साबिरीन का ज़िक्र आया है।

रोज़े से जो कूवत–ए–बरदाशत पयदा होती है उस से ज़िन्दगी की हर राह में मदद मिलती है। रोज़े से फ़ुक़रा की हालत का अन्दाज़ा

होता है, भूखों व बेसहारा इंसानों की तक्लीफ़ों का एहसास होता है और दिल में हुस्न–ए–सुलूक़, ईसार व सख़ावत, सदक़ा ख़ैरात की उमंग पयदा होती हैं जनाब रसूल–ए–ख़ुदा (स0) हर मौकेअ् पर ईसार व सख़ावत का बादल बरसाते थे लेकिन माह–ए–रमज़ान में ख़ुसूसीयत के साथ सख़ावत व ईसार के अब्र–ए–बारां रहते।

शिकमपुरी इस इहसास को मुर्दा कर देती है कि यह ख़ुशहाली किसी का इनआम है। रोज़े की तक्लीफ़ से पूरे साल इन्आम–ए–इलाही से मुतमत्तिअ् होने की क़द्र व क़ीमत मालूम होती है और रूह शुक्रिये व सिपास के लिये झुकी है। ताअत का शौक़ बढ़ता है, मोहर्रमात से नफ़्रत हो जाती है। इस की इसी अहम्मीयत से इस्लाम ने फ़ुरूअ–ए–दीन में नुमायां तौर पर ज़िक्र किया है और ख़ुदा ने इस अिबादत को अपनी तरफ़ निस्बत दी है। हदीस–ए–कुदसी में है ''रोज़े की अिबादत खास मेरे लिये है और मैं खुद उस की जज़ा दूंगा।''

सिर्फ़ फ़ाक़ा कशी से रोज़े का मक्सद पूरा नहीं हो जाता क्यों कि हक़ीक़त–ए–रोज़ सिर्फ़ आज़ा की गुरसनगी व तशनगी नहीं है बलबि इस्लामी रोज़ा शुअूर व इहसास व तसव्वुरात का दक़ीक़ा है। जनाब–ए–रसूल–ए–ख़ुदा (स0) का इरशाद–ए–गेरामी है कि ''जब रोज़ा रखो तो तुम्हारा रोज़े का दिन और बेरोज़े का दिन दोनों एक तरह के न हों''।

नमाज़ से ज़ाहिरी मसावात का अिल्म होता है और रोज़े से मसावात–ए–बातिनी की तालीम मिलती है। अमीर ग़रीब सब एक हाल में होते हैं। रोज़े से इज्तिमाई तरक़्क़ी के बहुत से फ़ायिदे उठाये जा सकते हैं इतिहाद व यकरंगी का मंज़र अंदाज़ न होना चाहिए।

अीद के दिन मस्जिदों में एक आम चहलपहल, मुश्तरक मसर्रत बहुत दिलकश होती हैं रोज़े की नाकाबिल–ए–इंकार इफ़ादीयत ही की वज्ह से लगभग दुनिया की हर क़ौम ने (पारसीयों के अलावा) किसी न किसी शक्ल में रोज़े की अहम्मीयत का इअ्तिराफ़ किया है।

रोज़े के मुताअल्लिक कुछ मस्अलेः–रोज़े से मुराद–सुब्ह–ए–सादिक से शाम तक उन चीज़ों से बाज़ रहना है जिन को शरिअ्त ने मनअ किया है।

वाजिब रोज़े–रमज़ान या उस की कज़ा के रोज़े अह्द का रोज़, कसम, नज़्र, और क़फ्फारों के रोज़े बड़े बेटे पर, किसी मय्यत की तरफ़ से उज्रत लेके, इअ्तिकाफ़ के रोज़े।

सुन्नत रोज़े।

यह बहुत सारे हैं, रजब और शाबान के महीनः भर के रोज़े हर चांद के महीने की 13 वीं, चौदहवीं और पन्दरहवीं के रोज़े वग़ैरः।



¼s u0 6 cfd ;+k½

10. इस्लामी भाई बहनों! हम भी कुर्आन से दूर पड़े कुरआन विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय योजना के मारे हुए थे। कुरआन की तरफ़ पलटने का आनन्द नहीं देखा था। ईरान की वैभवशाली इस्लामी क्रान्ति और इस्लामी गणतन्त्रीय व्यवस्था की स्थापना इस पलटने की एक बरकत का प्रभाव है। आज यह क़ौम ज़िन्दगी के वातावरण समाजी–सम्बन्ध, शासन के गठन और स्वरूप, अपने नेताओं के हाव–भाव, विदेश–नीति, शिक्षा–दीक्षा में कुरआनी शिक्षा की कुछ चिन्गारियां देख रही हैं। अब तक कुरआन के स्वर्ग की ठण्डी हवा का एक झोंका हम तक आया है लेकिन इस वास्तविक जन्नत के अन्दर जाने का रास्ता खुला है।

11. हमें गौरव है कि हमने चेतना के काम कुरआन की आवाज़ को सौंप दिए हैं। सभी क़ौमों की ज़िम्मेदारी भी यही है। विशेषकर धर्माचार्य बुद्धिजीवी, धर्मउपदेशकों, लेखक और शोधकर्ता सज्जनों का यह सबसे बड़ा कर्तव्य है।



वहाबी मत का सत्य

y§kd %आयतुल्लाहिल उज़मा सय्यदुल उलमा मौलाना सै0 अली नक़ी नक़वी

fdLr %½10½ lEiknu %नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इसलिए इब्ने अब्दुल वहाब की किताब अत्तौहीद के व्याख्या कार ने इसे लिखने के बाद लिख दिया है किः

"यह इसका सबूत है कि जो इस बारे में वर हुए वह काफ़िर थे। इसलिए कि अगर वो मोमिन होते तो ये फैसला न करते कि अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों की क़ब्रों पर मस्जिद बनाए जबकि हमारे पैग़म्बर ने ऐसा करने वालों पर लानत की है।"

अर्थात् उन्होंने अपने धर्म को सही बनाने के लिए कुरआन को अपने आधीन बनाना चाहा है। इसलिए हजारों मुसलमानों पर कुफ़् के फ़त्वे की बाढ़ इतनी बढ़ी कि पहले काल के सच्चे मुसलमानों पर भी कुफ़्र के फ़त्वे लगाने लगे। पहले तो ये कि अगर पूरी आयत को पढ़ें तो पता लगेगा कि इमारत बनाने पर दोनों गिरोह एक राय थे। झगड़ा इस पर था कि किस प्रकार की हो? अगर मान लिया जाए कि वर होने वाले काफ़िर हों तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर ये कि मुफ़स्सिरों (कुरआन के व्याख्या कारों) का कहना है कि वर होने वाले लोग मोमिन थे। तभी तो मआलिम अततनज़ीले बग़वी में है किः

"मुसलमानों ने कहा कि हम इन पर मस्जिद का निर्माण करेंगे जिसमें संसारों के पालन हार के लिए नमाज़ें पढ़ें।"

ख़ाज़िन ने 'लुबाबुत्तावील' में लिखा है

"इब्ने अब्बास ने इस इमारत के बारे में कहा कि मुसलमानों ने कहा हम उन पर मस्जिद बनाऐगे जिसमें लोग नमाज़ें पढ़ें इसलिए कि ये हमारे धर्म पर थे।"

इस प्रकार के शब्द 'तफ़सीरे जलालैन' और कश्शाफ़ और तफ़सीरे 'अबूस्सऊद' में हैं और इब्ने अब्बास में है किः

"जो वर हुए वह मोमिन थे उन्होंने कहा हम मस्जिद का निर्माण करेंगे कि ये हमारे धर्म पर थे।"

और नीशापूरी ने ग़राएबुल कुरआन में लिखा है कि

"जो वर हुए वह मुसलमान समूह था और उनका राजा मुसलमान था। इसलिए उन्होंने वहाँ मस्जिद बनाई जिसमें मुसलमान नमाज़ पढ़ें और उनके उस ठहरने के स्थान से बरकत (समृद्धि) पाएं और उनको ही अधिक अधिकार था उन क़ब्रों की देखरेख के लिए इमारत बनाने का।"

इस सब के बाद क्या उस व्यक्ति का ये कहना सही हो सकता है कि वह वर होने वाले माज़ अल्लाह (खुदा की शरण) काफ़िर थे जबकि इतने बड़े मुफ़स्सिरों (कुरान के व्याख्याकारों) जिनमें तरजुमानुल कुरआन (कुरान प्रवक्ता) अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी हैं उन्हें इसलाम वालों में से और ईमान वालों में से बता रहे हैं।

इसके बाद आइए सुन्नत पर भी नज़र डालते हैं। पता होना चाहिए कि हमारी बातचीत यहाँ उस गिरोह के सामने है जिनके यहाँ सुन्नत के मानक में एक तो वह चीज़ है जो उनके यहाँ और हमारे यहाँ एक है। अर्थात् हज़रत[स] का कहना, करना और मानना सम्मिलित है और एक बात हमसे अलग हैं अर्थात् वह रसूल[स] के सहाबा का अनुसरण भी ज़रूरी समझते हैं और इस हदीस को मानते हैं कि मेरे सहाबी सितारों की तरह हैं जिस किसी के पीछे चलोगे सही रास्ता पाओगे

तो हमें ज़रूरी है कि क़ब्रों के निर्माण के बारे में पहले रसूल[स] की सुन्नत को दिखाएं फिर सहाबा व ताबाईन के चलन कि ये सब सबूत के लिए काफ़ी हैं।

1 mLeku fcu etÅu dh dcz dsfy, jlwy vYykg' dk dk;Z

नूरूद्दीन समहूदी ने 'वफ़ाउलवफ़ा' में लिखा है कि:

"मुहम्मद बिन कुद्दामा की रिवायत है उनके पिता के द्वारा उनके दादा से कि जब हज़रत[स] ने उस्मान बिन मज़ऊन को दफ़्न किया तो आदेश दिया कि उनकी क़ब्र के सरहाने एक पत्थर रख दिया जाए। कुद्दामा का कहना है कि जब बहुत समय के बाद हम बक़ीअ गए तो उस पत्थर को देखा और समझे कि ये उस्मान बिन मज़ऊन की क़ब्र है।"

दूसरी रिवायत है कि

"हज़रत[स] ने कहा कि पत्थर मैंने इसलिए रखवाया कि मेरे भाई की क़ब्र का उससे पता चले और उसके पास अपने रिश्तेदारों में जिसका देहान्त हो उसे मैं दफ़्न करूँ।"

और साफ है कि किसी हुक्त आदेश या काम के साथ जब कारण बताया जाए तो वह कारण जिस रूप में अधिक मिले वह आदेश वहाँ अधिक ज़ोर से लागू होगी। हज़रत[स] ने पत्थर रखने का कारण कब्र की पहचान बताया जिससे उसके पास दूसरी क़ब्र बनाई जा सके और ज़रीह या कुब्बा बनाने का मक़सद भी यही होता है जो इससे कहीं ज़्यादा तो अच्छी तरह पूरा होता है तो हज़रत[स] का कर्म उसके अच्छे होने के सबूत के लिए काफ़ी है।

हर व्यक्ति समझ सकता है कि हज़रत[स] के सामने बहुत से सहाबियों की इन्तेकाल हुआ मगर किसी के लिए हज़रत[स] ने ऐसे कुछ नहीं किया। इससे साबित होता है कि सब दफ़्न होने वाले एक से नहीं होते और उसी तरह सबकी क़ब्रें एक सी नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ दूसरों से अलग होते हैं चाहे ईमान में पहल की वजह से या धार्मिक सम्मान की वजह से और वह इस्लाम के प्रारम्भ का समय बहुत निर्धनता का था। अतः जो साधारण जीवन स्तर हज़रत[स] और फिर दूसरे मुसलमानों का था उसे देखते हुए ज़रीह व कुब्बे आदि बनाना आसान न था। अतः उस समय के हिसाब से अलग दिखाने के लिए जो विशिष्ट प्रतीक हो सकता था उसका उस्मान बिन मज़ऊन के लिए हज़रत[स] ने इन्तेज़ाम किया और जब मुसलमानों का आम जीवन स्तर ऊँचा हो गया तो उसी लिहाज़ से नबियों और औलिया की क़ब्रों की विशिष्ट पहचान के तौर पर इमारतेां में विकास होने लगा, जो होना चाहिए था और जितना स्थान जिसका ऊँचा हो उसी के हिसाब से उसमें बढ़ोत्री होना चाहिए।

2 jlwy'0 dsiq= bczkghe dh d+zij bekjr

उसी किताब 'वफ़ाउलवफ़ा' में इब्ने जुबाला की रिवायत है

"सअ़द बिन मुहम्मद से कि उन्होंने हज़रत[स] के पुत्र इब्राहीम की क़ब्र देखी 'ज़ौरा' के पास। अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद ने कहा ये वह घर है जो बाद में ज़ैद बिन अली के स्वामित्व में आया।"

अगर इमारत का क़ब्र पर होना जायज़ न होता तो हज़रत[स] अपने पुत्र को घर के अन्दर क्यों दफ़्न करते और अगर हम ये मान भी लें कि क़ब्र घर के आंगन में थी तब भी दीवारे आंगन की तो क़ब्र के चारों ओर होंगी। वहाबी लोग इसे भी मना (निषिद्ध) समझते हैं।

3 gt j+r [kkrwstUur ¼LoxZefgykt ukc lS;nk½ dh lhjr ¼pyu½

'वफ़ाउलवफ़ा' में इमाम मुहम्मद बाक़िर[अ] की रिवायत है कि:

"हज़रत[स] के दिल का टुकड़ा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा[अ] जनाबे हमज़ा (रजी0) की क़ब्र की ज़ियारत को जाती थीं और उसकी मरम्मत करती थीं और ठीक करती थीं और उन्होंने भी इसकी पहचान के लिए एक पत्थर रख दिया था।

पता होना चाहिए कि जनाब फ़ातिमा का यह काम अपने पिता के जीवन काल में था। और

हज़रत के ज्ञान में था। मगर हज़रत ने इससे नहीं रोका इसलिए यह रसूल[स0] के अनुमोदन में आकर सुन्नत हुआ। और यह बिल्कुल वहाबी विचार धारा के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि वह महिलाओं के लिए क़ब्र की ज़ियारत को बिल्कुल हराम समझते हैं और फिर क़ब्र की पहचान को भी मना करते हैं। मगर जनाबे फ़ातिमा[स] जनाबे हमज़ा की क़ब्र की बराबर देखरेख करती रहीं अगर उसका बाक़ी रहना ज़रूरी न समझती तो समय–समय पर उसे ठीक क्यों करती और जब कब्र की देखरेख 'सही' है और अच्छा काम है तो फिर कुब्बे का निर्माण करना जो इस मक़सद को पूरा कर सकता है, क्यों ठीक न होगा।

4 gt+jr' dh dczdsfy, gt+jr vyh vk lc vgysc o lgkfc;ksa dks pyu

हर व्यक्ति समझ सकता है कि अगर क़ब्र पर इमारत बनाना मना होता तो इससे कुछ असर नहीं पड़ता कि क़ब्र पहले से हो और बाद में उस पर इमारत बनाई जाए या इमारत पहले से हो कब्र बाद में बनाई जाए, क्योंकि काम दोनों का एक है और वो ये कि लोग ज़ियारत के लिए आएंगे और उस इमारत से उनके लिए सुविधा होगी। अब अगर ये काम ग़लत हो तों स्वंय हज़रत[स0] को आयशा के कक्ष में क्यों दफ़्न किया गया जिसके ऊपर छत थी। हज़रत अली[अ] ऐसा कार्य क्यों करते जबकि वहाबियों का कहना है कि हज़रत[स] ने उन्हें ही क़ब्रों की इमारतों को तोड़ने के लिए भेजा था। इससे पता चलता है कि अहलेबैत और सहाबी लोग सब एक मत थे कि क़ब्र पर इमारत होने से कोई नुकसान नहीं है।

5 le;≤ ij gt+jr'0 dsjkS+s dsuo fuekZk vkS etcwrh dh dks'kk

वफ़ाअउलवफ़ा में समहूदी ने लिखा :

"हज़रत[स] के कक्ष की छत पहले खजूर के पेड़ की छाल की थी। सबसे पहले जिसने ईटों वाली छत बनवाई वह द्वितीय ख़लीफ़ा उमर बिन ख़त्ताब थे।"

इसके बाद जैसा नूववी ने सही मुस्लिम की व्याख्या में लिखा है

"जब मुसलमान बढ़े और सहाबियों व ताबिईन लोग को हज़रत[स] की मस्जिद को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और यह विस्तार हज़रत[स] की पत्नियों के घरों तक पहुँच गया जिसमें आयशा का कक्ष भी था तो उन लोगों ने हज़रत[स] की क़ब्र के चारों ओर ऊँची दीवार बनवाई ताकि क़ब्र मस्जिद में इस प्रकार न लगे कि आम लोग उसकी ओर मुख करके नमाज़ पढ़ने लगें। फिर दो दीवारें कब्र पूर्वी कोनों से मिलाकर बनाई गई ताकि कोई क़ब्र की ओर मुख करके नमाज़ पढ़ ही न सके।

इससे पता चला कि क़ब्र पर या उसके पास इमारत बनाने में कोई नुकसान नहीं है। बस क़ब्र की ओर मुख करके नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए।

इसके बाद लगातार हज़रत[स] के रौज़े के रखरखाव और नव निर्माण में खास इन्तेज़ाम होता रहा यहाँ तक कि बुख़ारी ने सही में रिवायत किया है हश्शाम बिन उरवा से और उन्होंने अपने पिता उरवा बिन ज़ुबैर से कि

"जब वलीद बिन अब्दुल मलिक के हज के समय में हज़रत[स] के कक्ष की चार दीवारी गिर गई और उसका निर्माण शुरू हुआ तो एक पाँव बाहर निकल आया जिससे ये विचार करके कि ये हज़रत[स] का पवित्र पाँव न हो लोग घबरा गए और कोई ऐसा न मिला जो उसके बारे में अपने ज्ञान से बताए। बस उरवाह बिन ज़ुबैर ने देख कर कहा अल्लाह की क़सम ये हज़रत[स] का पैर नहीं है। हो न हो ये उमर का पाँव है।"

और पता होना चाहिए कि वलीद की ख़िलाफ़त 86 हिजरी से लेकर 96 हि0 तक रही और इस समय तक सहाबियों में कुछ जीवित थे।

6 gt+jr' dh iRuh mEesgchck dh dcz ij bekjr

समहूदी ने लिखा है कि ज़ैद बिन साइब की रिवायत है अपने दादा से कि:

"जब अक़ील बिन अबी तालिब (रजि0) ने अपने घर में एक कुँआ खुदवाया तो एक बेलबूटे वाला पत्थर निकला जिस पर लिखा था कि ये

हज़रत[स] की पत्नी उम्मे हबीबा बिन्ते सख़्र बिन हरब की क़ब्र है तो अक़ील ने कुंए को पटवा दिया और उस पर इमारत बनवाई। इब्ने साइब का कहना है कि मैं उस इमारत में गया तो मैंने वो क़ब्र स्वंय देखी।"

7 ufc;ksa vkSj lkyghu dh dczksa ij bekjr [kyhQk d j gt jr bczkghe dh dczi j bekjr

समकालीन अल्लामा सय्यद इब्राहीम रावी रिफ़ाई ने "अवराक़े–बग़दादिया" में लिखा है कि

"जब मुसलमानों ने शाम और बैतुल मक़दस को विजय किया तो वहाँ नबियों की क़ब्रों पर इमारतें बनी देखी। उन्होंने उन्हें नहीं तोड़ा और सबसे अधिक प्रसिद्ध कब्र हज़रत इब्राहीम[अ०] की क़ब्र है उसे द्वितीय ख़लीफा उमर बिन ख़त्ताब ने देखा और उसे तोड़ा नहीं। और शेख तक़ीउद्दीन इब्ने तैयमिया ने अपनी किताब "सिरातुमुस्तक़ीम" में इस इमारत के अस्तित्व के बारे में लिखा है। मगर कहा है कि 400 हिजरी तक उस इमारत का द्वार बन्द था।"

हम कहते हैं कि सहाबियों का जिनमें द्वितीय ख़लीफ़ा उमर भी थे उस इमारत को बाक़ी रखना इसका सबूत है कि क़ब्रों पर इमारत होने पर उनके निकट कोई ख़राबी नहीं थी और इब्ने तैमिया का ये कहना कि द्वार उसका 400 हिजरी तक बन्द था केवल एक दावा है जिसका कोई सबूत नहीं बल्कि इतिहास में इसके ख़िलाफ़ है। और पता चलता है कि चौथी शताब्दी के पहले भी लोग हज़रत इब्राहीम[अ] की ज़ियारत को जाते थे। अतः सय्यदा नफ़ीसा जिनकी मृत्यु दूसरी शताब्दी हिजरी में हुई वे हर नमाज़ के बाद दुआ करती थीं कि

"पालनेवाले! मुझे अपने खलील (दोस्त) इब्राहीम की ज़ियारत नसीब कर।"

इसे उस्मान बिन मद्दूख शाफ़ई ने अपनी किताब "अल–अदलुश्शाहिद फ़ी तहक़ीक़िल मुशाहिद" में लिखा है।

8- tukcs Qkfrek fcUrs vln dh dczi j bekjr

पिछले सबूतों के बाद ही क़ब्रों की इमारतों के बारे में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए जबकि हज़रत[स] के काय और अनुमोदन और फिर अहलेबैत और सहाबियों व ताबाईयों के चलन पैग़म्बर के समय और उससे मिली हुई शताब्दियों में लगातार चलता रहा और जो व्यक्ति अधिक खोज करे उसे और अधिक पता चलेगा कि पहली ही शताब्दी में कुब्बे का निर्माण होने लगा था। अतः समहूदी ने वफ़ाउलवफ़ा में लिखा है कि

"फ़ातिमा बिन्ते असद (हज़रत अली[अ] की माँ) की कब्र के बारे में अब्दुल अज़ीज़ की रिवायत है जिसकी सनद (क्रम) मुहम्मद (हनफ़िया) बिन अली बिन अबी तालिब तक पहुँचती है कि जब फ़ातिमा बिन्ते असद की बीमारी में हालत खराब हुई। हज़रत[स] को इसका ज्ञान हुआ तो कहा जब इनतेक़ाल हो जाए तो मुझे बताना। अतः जब उनका इनतेक़ाल हो गया तो हज़रत[स] को अवगत कराया गया। आप सीधे आये और उनकी कब्र खोदने का आदेश दिया उस मस्जिद के अन्दर की भूमि पर जिसे अब 'फ़ातिमा की क़ब्र' कहा जाता है।

समहूदी कहते हैं कि ये कहना मुहम्मद हनफ़िया का कि

"उस मस्जिद के अन्दर के स्थान पर" बता रहा है कि उस समय उनकी क़ब्र पर मस्जिद थी जिसमें लोगों को क़ब्र का आम तौर पर ज्ञान था।'' मुहम्मद हनफ़िया का इनतेक़ाल 81 हिजरी में हुई। इसलिए जनाब मुहम्मद हनफ़िया की ये रिवायत बताती है कि पहली शताब्दी में जनाबे फ़ातिमा बिन्ते असद की क़ब्र पर मस्जिद का निर्माण हो गया था।

9- tukcs getk[0] dh dczi j bekjr

'वफ़ाउलवफ़ा' में है कि

"अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि ज़्यादा गुमान हमारे यहाँ ये है कि मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्लाह बिन जुहश दफ़्न हुए उस मस्जिद के नीचे जो हमज़ा[र०] की क़ब्र पर बनी हुई थी।"

और अब्दुल अज़ीज़ दूसरी शताब्दी के आदमी है जिसे समहूदी ने पहले लिखा है कि आगे वाले भाग में हमज़ा[र०] की क़ब्र के बारे में अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान की ज़बानी आएगा कि पहले समय से हमज़ा[र०] की क़ब्र पर मस्जिद थी और यह दूसरी शताब्दी का ज़िक्र है।

10- tukcsvCckl vk§ beke glu dh dcz dk dqCck

अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने 'सवाएकुल मुहर्रिक़ा' में इमाम मुहम्मद बाक़िर के हाल में लिखा है कि:

"आपकी मृत्यु 117 हिजरी में 58 वर्ष की आयु में हुई अपने पिता की तरह ज़हर से। और आपकी माता उनके पिता के चचा इमाम हसन[अ०] की बेटी थीं और आप माता पिता दोनों ओर से हज़रत[स] की सन्तान में हैं और आप भी अपने पिता के पास इमाम हसन[अ०] और जनाबे अब्बास[अ०] के कुब्बे में जो जन्नतुल बक़ीअ में था दफ़्न हुए।"

इससे पता चलता है कि अब्बास की क़ब्र पर कुब्बा 117 हिजरी में भी था और मोहद्दिस ख़्वाजा पारसा बुखारी ने अपनी किताब "फ़ज़्लुल ख़िताब" में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में लिखा है कि:

"आपका इन्तेक़ाल मदीने में 95 हिजरी में हुआ। उस समय आपकी आयु 57 वर्ष थी और आप उस कुब्बे में दफ़्न हुए जिसमें अब्बास और आपके चचा हसन[अ०] दफ़्न थे फिर आपके पुत्र मुहम्मद बाक़र[अ०] और उनके पुत्र जाफ़रे सादिक़[अ०] दफ़्न हुए।"

और इब्ने ख़ल्लिक़ान ने आपके बारे में लिखा है कि:

"आपक इन्तेक़ाल 94 हिजरी में हुआ और आप अपने चचा इमाम हसन[अ०] के मक़बरे में उस कुब्बे में दफ़्न हुए जिसमें अब्बास की क़ब्र थी।"

इसी प्रकार इमाम मुहम्मद बाक़र के हाल में लिखा है। इससे पता चलता है कि पहली शताब्दी के अन्त में अब्बास[अ०] की क़ब्र पर कुब्बा था।

इसके बाद ये कहना कि ये बिदअत (धर्म में नया करना) ताबई लोगों के बाद जन्मा। वास्तव में बात की सच्चाई से अनजान होना या अनजान बनना है बल्कि नज्द के क़ाज़ी अब्दुल्लाह बिन सुलेमान बिन वलहीद ने उस पर सोने पर सुहागा कर दिया कि अपने लेख में जो "उम्मुलकुरा" के अंक दिनांक 4 जमादुस्सानी 1345 हिजरी (शुक्रवार) में प्रकाशित हुआ लिखा है कि "खैरूलकुरून (अच्छी सदियों) में सुनने में नहीं आया कि ये बिदअत जन्मी हो बल्कि ये बिदअत पाँच शताब्दियों के बाद में जन्मी है।"

ये एक अजीब दावा है जिसे इतिहास बिल्कुल झूठा साबित करता है क्योंकि इतिहास से पाँच सदी के बहुत पहले से कुब्बों का होना आपके सामने आ चुका है और समहूदी ने 'वफ़ाउलवफ़ाअ' में लिखा है:

पैग़म्बर[स०] की पाक क़ब्र की इमारत की दीवारें नीची थीं अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने बड़ी मज़बूती से उन्हें ऊँचा करा दिया फिर अबुल बखतरी ने जो हारून रशीद की तरफ से मदीने का गवर्नर था 193 हिजरी में उस हुजरे (कोष्ट) की छत बनवायी। फिर मुतवक्किल ने हरमैन के गवर्नर को हुक्म दिया कि वह उस हुजरे को संगेमरमर से मज़बूत बनवा दे।

और इब्ने ख़ल्लिकान ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हालात में ख़तीब बग़दादी की बात लिखी है जो सन 392 हिजरी में पैदा हुए है कि:

"मूसा काज़िम शौनीज़िया याने कुरैश की क़ब्रों के बीच कुब्बे से बाहर दफ़्न हुए और उनकी क़ब्र वहाँ मशहूर है और लोगों की ज़ियारत की जगह है। और उस पर रौज़ा बना हुआ है और वहाँ कन्दीलें लगी हुई हैं और वहाँ तरह तरह के सामान हैं और बहुत फर्श आदि का सामान है।"

इसमें यह शब्द कि "कुब्बे के बाहर दफ़्न हुए" यह बताते हैं कि एक कुब्बा वहाँ आपके दफ़्न होने से पहले बना हुआ था और इमाम का देहान्त सन 183 हिजरी में हुआ था और उस समय कुरैश की क़ब्रों पर कुब्बा मौजूद था। और फिर

इमाम मूसा काज़िम का रौज़ा (समाधि) ख़तीब के समय से पहले बन चुका था तो इसे अधिक से अधिक चौथी शताब्दी हिजरी के बीच में मानना पड़ेगा।

और जमालुद्दीन बिन ऐनिया ने "उम्दतुल मतालिब" में लिखा है कि:

"हारून रशीद ने हज़रत अमीरूल मोमिनीन अली इब्ने अबीतालिब अलैहिस्सलाम की क़ब्र पर गुम्बद (कलस/कुब्बा) का निर्माण कराया था।"

और यही बात 'हबीबुस्सियर', और 'कामिल' (इब्ने असीर) आदि में है और हुसैन बिन हज्जाज कवि जिनका देहान्त 327 हिजरी में हुआ उनके एक क़सीदे (प्रशंसा–काव्य) की एक पंक्ति इस प्रकार है: "ऐ नजफ़ में चमकते हुए कुब्बे (गुम्बद) वाले, जो आपकी ज़ियारत करे, वह शिफ़ा (रोग से अच्छा होना) मांगे शिफा पाएगा" और इब्ने ख़ल्लिकान ने अबू तम्माम हबीब इब्ने औस ताई (कवि) के हालात में लिखा है कि: "उनकी वफ़ात 230 हिजरी में हुई और उनकी क़ब्र पर नहशल बिन हमीद तूसी ने कुब्बा बनवाया।"

इसी तरह बुराना बिन्ते सहल के कुब्बा का बयान किया है जिनका देहान्त 271 हि0 में हुआ है।

इसी तरह अजुदुददौला देलमी के हाल में लिखा जिनका देहान्त भी 271 में हुआ है कि : ''वह पहले अपने झार में दफ़्न हुए फ़िर इमामे मूसा काज़िम[अ0] के हरम में कर दिये गये जो क़ुरैश के मक़बरों में है।''

इब्ने वकीअ शायर के हाल में लिखा है जिनका देहान्त 393 हिजरी में हुआ कि:

"वह बड़े क़ब्रिस्तान में दफ़्न हुए उस गुम्बद के नीचे जिसका निर्माण वहाँ उनके लिए हुआ था"

और उस्मान बिन मद्दूख शाफ़ई ने अपनी किताब "अल अदलु शाहिद फ़ी तहक़ीक़िल मशाहिद" में सय्यद इब्राहीम हुसैन की क़ब्र के बारे में लिखा है कि:

"यह रौज़ा (समाधि) क़ाहिरा से बाहर ख़न्दक़ (खाई) के पास है और उसके और मंजिया के बीच में और मस्जिद तब्रुल अख़्शीदी के नाम से प्रसिद्ध है इसलिए कि उन्होंने उसे सैयद इब्राहीम की क़ब्र पर बनवाया है। फिर लिखा है कि तब्रुल अख़्शीदी का देहान्त 360 हिजरी में हुआ।"

'रौज़तुस्सफ़ा' से पता चलता है कि मामून अब्बासी ख़लीफ़ा ने अपने बाप हारून रशीद की क़ब्र पर गुम्बद बनवाया और यह 203 हिजरी से पहले की बात है इसलिए इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हाल में अबुस्सलत हरवी की रिवायत लिखी है, उनका बयान है कि:

"मैं एक दिन इमाम रिज़ा[अ0] के पास था। आपने फरमाया उस गुम्बद की ओर जाओ जिसमें हारून रशीद की क़ब्र है और थोड़ी सी मिट्टी वहाँ की ले आओ, उनका बयान है कि मैं गया और ले आया तो आपने उसे सूंघा फिर फेंक दिया। फिर कहा कि बहुत जल्दी वह समय आने वाला है कि मेरे लिए वहीं क़ब्र खोदी जाए।"

सब को मालूम है कि यह ख़लीफ़ा मामून स्वयं एक ज्ञान वाला आदमी था जैसा कि सुयूती की तारीखुल खुलफा में है कि मामून न्याय का प्रतिबद्ध फ़िक़्ह (ईस्लाम धर्म विधि शात्र) में निपुण और बड़े उलमा में उसकी गिनती थी। फिर दूसरे उलमा भी उस समय बहुत संख्या में मौजूद थे जिनमें इमाम शाफ़ई, अहमद बिन हम्बल और सुफ़ियान बिन ऐनिया ऐसे लोग थे मगर किसी ने भी गुम्बद के निर्माण का विरोध नहीं किया।

इस संक्षिप्त किताब में इतने सबूतों को लिखना पर्याप्त है। जो व्यक्ति सूबूत ढूढ़ना चाहे उसे बहुत अधिक मिलेंगे।

bt ekv ,der

यहाँ हम अहले सुन्नत के अनुसार "इजमाअ" शब्द को देखेंगे। अहले सुन्नत के यहाँ इजमाअ शब्द का अर्थ मुसलमानों की एक बड़े संसमूह का एकराय होना। मुसलमानों का जनमत क़ब्रों के निर्माण के सामर्थन, इमारतों के बाकी रखने और उनके आदर पर एक है। इसका सुबूत उससे मिलता है जिसे हाफ़िज़ जलालुद्दीन सुयूती ने

"तारीखुल खुलफ़ा" में लिखा है कि जब मुतवक्किल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रौज़े को गिराया और उससे यह भी खुलता है कि तीसरी सदी हि0 में आप की क़ब्र पर भवन था और उसके इधर उधर और भी भवन थे जिन्हें गिराकर मुतवक्किल ने खेती कर दी और लोगों को ज़ियारत से रोक दिया और मुतवक्किल का नासिबी अर्थात अहलेबैत का शत्रु होना आम तौर पर मशहूर था तो मुसलमानों को इससे बहुत दुःख हुआ और बग़दाद के नागरिकों ने उसके ख़िलाफ़ नारे दीवारों पर लिख दिए और शायरों ने उस की निन्दा में शेर कहे। इससे ज़ाहिर है कि आम मुसलमान जिन्हें जमहूरे उम्मत (समुदाय के जनगण) कहना चाहिए इस इमारत के आदर पर एकमत थे।

अधिकतर उलमा ने इसे जायज़ माना है। "दुर्रूल मुख़्तार" के लेखक ने लिखा हैः
"निर्माण करने में मतभेद है हमारा अनपाया मत है कि इसमें कोई बुराई नहीं है।"
और मुल्ला क़ारी ने मिश्कात की व्याख्या में लिखा है किः
"पहले के नेक लोगों ने इसे अच्छा समझा है कि बड़े लोगों (पीर आदि) और मशहूर उलमा और औलिया की क़ब्रों पर इमारत का निर्माण किया जाए ताकि लोग उनकी ज़ियारत को जाएं और इमारतों में ठहर कर आराम करें।" और ऐसा ही मुहदिदस (हदीसों के बयान करने वाले विशेषज्ञ) मुहम्मद ताहिर फ़तनी ने मजमअुल बिहार में लिखा और दूसरे उलमा के कथन इसी के अनुसार हैं।

इस तरह मदीने के उलमा का यह कथन ग़लत हो जाता है कि क़ब्रों पर इमारत बनाना इजमाअ के अनुसार मना है। इस लिए वह हदीसें तो इस से रोकती है सही सनद (काम) की नहीं मगर मालूम होगया कि इजमा और उन हदीसों का दावा बिल्कुल निराधार है। और उनका यह कथन कि अधिकतर उलमा ने इन इमारतों के गिराने का फ़तवा दिया है, कि इन इमारतों का गिराना वाजिब (अनिवार्य) है हज़रत अली[अ0] की हदीस के आधार पर कि आपने अबुल हैयाज से यूँ कहा। हम जहाँ तक नज़र डालते हैं हमें यह उलमा नज़र नहीं आते। मालूम होता है कि ये उलमा केवल नज्द की धरती से सम्बन्ध रखते हैं। बाकी हर समय के उलमा तो सब तरह सदियों में इन भवनों को देखते रहे और कभी उनको गिराने का फ़तवा नहीं दिया। सिवाए इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यूम के जो अधिकतर उलमा के विरोध का निशाना रहे हैं और हर ज़माने में अपमानित हुए। इसके विपरीत सारे उलमा की चुप्पी और समर्थन के साथ सब मुसलमान हन इमारतों के पुननिर्माण और मज़बूत ता की और ध्यान देते रहें।

अबुल हय्याज वाली हदीस (जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने क़ब्रों को समतल करने भेजा) जिससे ये लोग दलील लाते हैं वह ग़लत है और कई कारणों से :

पहला यह कि ये हदीस काफ़िरों और मुश्रिकों की क़ब्रों के सम्बन्ध में है जिनके अस्तित्व से कोई फायदा नहीं बल्कि हानि होने की आशंका है। परन्तु नबियों और नेक लोगों की क़ब्रों के बाक़ी रहने में दीन का फायदा है। जो खुदा के चहीते है जैसे इन कब्रों की ज़ियारत जिसका हुक्म भी हुआ है कि कब्रों की जाकर ज़ियारत करो कि उनसे आखिरत (प्रलय) की याद ताज़ा है और फ़िर उनके कारनामों की याद ताजा होती है जो उन लोगों ने धर्म के प्रचार प्रसार और खुदा के रास्ते में किये थे और इस हदीस का सम्बन्ध काफ़िरों की कब्रों से होने की बात खुद हदीस में है, इसलिए कि एक साथ दो चीज़ों के मिटा देने का हुक्म हुआ एक मूर्तियाँ और दूसरे ऊँची कब्रें और साफ़ है कि ये मूर्तियाँ मुसलमानों की बनायी नहीं थी बल्कि मुश्रिकों की रखी थी तो ये क़ब्रें भी उन्हीं की होंगी और यह बुद्धि समझ लगाने से भी सामने आता है क्यों कि उस समय मुसलमानों की आर्थिक स्थिति ऐसी कहाँ थी कि वे क़ब्रों पर इमारतें बनाते। और सहाबी आप[स0] के साथ के श्रेय के हिसाब से सब बराबर की स्थिति रखते थे

अतः उनमें कुछ की ऐसी विशिष्टता नहीं थी कि उनकी क़ब्रों पर भवन बनाये जाते इसलिए वह क़ब्रें जिनके मिटाने का हुक्म हुआ था मुसलमानों की क़ब्रें बिल्कुल नहीं थीं वरना उनपर पिछले खलीफ़ाओं के समय में इमारतें क्यों बनतीं जो अब जनाब अमीर[अ०] को उनके गिराने की ज़रूरत होती। फ़िर रसूल[स०] के हुक्म का आप ने संदर्भ दिया कि मुझे उस अहम काम के लिए भेजा था तो रसूल[स०] के समय में मोमिनों की क़ब्रों पर यह इमारतें क्योंकर बन गयी और स्वयं हजरत[स०] को निर्माण के समय खबर न हुई जो बाद में उनके गिराने के लिए हज़रत अली[अ०] को भेजा।

अब यह कि वो पहले के नबियों की क़ब्रें हो ऐसा भी नहीं था। एक तो वो मदीना और उसके आसपास न थीं बल्कि शाम व फ़िलस्तीन वग़ैरह में थीं या इराक़ में थीं। और अगर उन क़ब्रों को गिराने को भेजा था तो वह बाद में बाक़ी क्यों रही जो चारों ओर फैली हैं जैसे जनाबे दानियाल पैग़म्बर की क़ब्र शूस्तर में और जनाबे हूद[अ०] सालिह[अ०] और जनाब यूनुस[अ०] ज़ुलकफ़्ल और युशा' की क़ब्रें नजफ़ में और बाबील की भूमि पर और बहुत से नबियों की क़ब्रें शाम और फ़िलस्तीन में।

v kS l fu,%

रसूलल्लाह[स०] की माँ जनाबे आमिना बिन्ते वहब का देहान्त कब हुआ था? जब हज़रत की आयु 6 वर्श थी और चालीस वर्ष के होने पर अपने पैग़म्बर होने का ऐलान किया, तो चौतीस वर्ष हुए, फिर तेरह वर्षो बाद हिजरत हुई, अब सैतालीस वर्ष हो गये, फिर 8 हिजरी में मक्का की विजय हुई यह 55 वर्ष हो गए, अर्थात् आधी सदी हो गई तब तक जनाबे आमिना की क़ब्र स्पष्ट रूप से दिखती थी। मगर नबी ने उसके गिराए जाने का आदेश नहीं दिया बल्कि अल्लाह से उस क़ब्र की ज़ियारत के लिए आज्ञा चाही और फिर आज्ञा मिलने पर आप स्वयं वहाँ गए। क़ब्र के सरहाने बैठे और अपने सर को इस प्रकार हिला रहे थे जैसे बातें कर रहे हों फिर आप रोऐ जिस पर सारे मुसलमान रोने लगे। इसका ज़िक्र सहीह मुस्लिम में भी है।

इसका भी बयान पहले हो चुका कि नबी[स०] के बेटे इब्राहीम की क़ब्र भी घर के अन्दर थी। और उसे स्वयं आप[अ०] ने बनवाई थी यह घर भी आप के काल में और उसके बाद बराबर बाकी रहा। स्वयं पैग़म्बर की पाक क़ब्र एक इमारत में थी जिसे खुद हज़रत अली[स०] और दूसरे अहलेबैत और सहाबियों ने बनवाया।
यह इमारत भी बराबर बाक़ी रही और लोगों ने इसे और मज़बूत ही किया और उसकी शान बढ़ाई जाती रही। इसके बाद नबी[स०] के चचा अब्बास की क़ब्र पर भी गुम्बद का निर्माण इसी काल में हुआ जो जनाब अमीर[अ०] के शासन काल से पहले था और यह कुब्बा इसके पहले और इसके बाद बराबर रहा।

इन सबसे ज़ाहिर है कि अगर पैग़म्बर का कोई हुक्म था तो वह बस और बस काफ़िरों की क़ब्रों के लिए था मोमिनों की क़ब्रों के लिए नहीं। और खुदा के करीबी और नेक लोगों की क़ब्रों में अलग से खास होना इस्लाम वालों के ध्यान का केन्द्र में था। इसी से हाफ़िज़ इब्ने हजर की 'इसाबा' के मुहम्मद बिन शरजील के हाल में स्वयं उनका बयान है:

"मैने साद बिन मआज़ की क़ब्र की थोड़ी सी मिट्टी मुटठी में ले कर सूँघी तो इसमें से कस्तूरी की खुशबू लगी।"

अब जब कि गिराये जाने का हुक्म, अगर उस हदीस का अभिप्राय यही हो काफ़िरों और मुश्रिकों की क़ब्रों के सम्बन्ध में था तो उससे मज़हब के इमामों और नेक लोगों की क़ब्रों के गिराने पर तर्क करना बिल्कुल गलत है।



eq[; l ekpkj

dk;nsfeYyr eksykuk dYcs tokn us gt+kjksa yksxksa ds lkFk nh fxjQ+rkjh] cl sa de iM+h] bfrgkfl d izn'kZu

NksVs beke ckM+s ij igqaps yxHkx ,d yk[k yksx] vkSjrksa us cM+h l {;k esa nh fxjQ+rkfj;ka] vxys dne dk ,ykut Yn gksxk

15 जून को शिया वक़्फ़ बोर्ड में फ़ैली बदउनवानियों, इमाम बाड़ों के तक्कद्दुस की हिफ़ाज़त, वसीम रिज़्वी की बरख़्वासतग़ी और अपने अधिकार की बाज़याबी के लिए शिया क़ौम ने हज़ारों की तादाद में छोटे इमाम बाड़े से ग़िरफतारी पेश की। ग़िरफतारी के इस पहले दौर में नौजवानों बूढ़ों के साथ औरतों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की। पहले जेल भरों आन्दोलन का एलान हज़रत गंज जी पी ओ पार्क से किया गया था लेकिन प्रशासन ने बसों और गाड़ियों पर पाबन्दी लगा दी। रास्तों में बेरी केंटिग लगा दी गई थी और कहा था कि जनता हज़रत गंज पैदल पहुंचे इस लिए कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद ने उलमा के साथ मीटिगं की और जग़ह भी बदल दी क्योंकि जनता का पैदल हज़रत गंज तक पहुंचना मुशकिल था क्योंकि जनता में बड़ी संख्या औरतों की है। गिरफ़्तारी के बाद कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद नक़्वी भी जनता के साथ पुलिस लाईन गये जहाँ से उन्होंने कौम के नाम पैग़ाम दिया कि अग़ले क़दम का ऐलान जल्द होगा कि कब दो बारह जेल भरना है। मौलाना ने कहा कि हिन्दुस्तान में शीईइयत की तारीख़ के बड़े इजतेमआत में इस इजतेमाअ का शुमार होगा। इस से पहले छोटे इमाम बाड़े पर एक लाख के करीब पहुंची जनता को ख़िताब करते हुये मजलिस उलमा–ए–हिन्द के जनरल सिकरेट्री कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद नक़्वी ने कहा कि कल बड़े इमाम बाड़े पर तारीख़ी मजमा देख कर प्रशासन डरा हुआ था इस लिये कल जनता को डराने के लिये ऐसी बसें लायी गयी थी जिन पर कारागार, ललितपूर, झांसी, लिखा हुआ था। आज प्रशासन सोच रहा था कि जनता कम संख्या में आएगी लेकिन हमारी जनता ने आज तो कल से भी ज़्यादा यानि हज़ारों की संख्या में आ कर बता दिया कि हम इमाम की जायेदाद के लिये जेल तो क्या अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं मौलाना ने कहा कि चूंकि हमारी तहरीक़ का आरम्भ छोटे इमाम बाड़े से शुरू हुआ था और आज जेल भरो आन्दोलन भी यही से शुरू हो रहा है। उन्होंने ने कहा ये एक लम्बी लड़ाई है जो कामयाबी तक जारी रहेगी।

कायदे मिल्लत ने कहा कि इमाम बाड़ों और वक़्फ की जायेदाद की आमदनी का अरबों रूपये सरकार और लीडरों की जेबों में जाता है। इस लिये वह नहीं चाहते के मुआमले हल हों यही वजह है कि चोरों की सर परस्ती की जा रही है एक बदउनवान और सी बी सी आई डी के मुजरिम की वजह से सरकार इतनी बड़ी क़ौम को नज़र अन्दाज़ कर रही है। क़ौम सोचे कि सरकार की नज़रों में इनकी क्या कीमत है। इसी लिये अब सरकार के ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जेल भरों आन्दोलन जारी रहेगा।

मौलाना ने जेल जाने से पहले क़ौम को पैग़ाम देते हुए कहा कि आज बसों में जितने लोग आ सकते हैं वह जेल जायेंगे जो रह जायेगें उनके लिये जेल भरो आन्दोलन के दुसरे दौर का एलान जल्द किया जायेगा। सरकार सुन ले कि हम जेल जाने से नहीं डरते। मौलाना ने कहा कि जनता अमन के साथ प्रदर्शन कर रही है। याद रहे कि कायदे मिल्लत की हिमायत में नक़ीबे मिल्लत जनाब असदुद्दीन ओवैसी के हुक्म पर शौकत अली सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लेमीन ने अपनी पार्टी के सैकड़ों कारकुनों के साथ ग़िरफतारी में हिस्सा लिया।

vxj rkykcUnh u djrs rks bekeckM+ksa dh vkenuh dk vUnkt+k Hkh u gksrk dk;ns fefYyr ekSykuk dYcs tokn

19 जून को शिया वक़्फ बोर्ड में फैली बदउनवानियों और सरकार की नाइन्साफ़ियों के ख़िलाफ़ आज मुसलसल पन्द्रह दिन हो गये लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े का ताला बन्द रहा और अन्जुमनों का धरना जारी रहा। कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद नक़वी ने कहा कि मुझ पर इमाम बाड़ों में ताला बन्दी और दीग़र मामलों को लेकर 15 एफ आई आर की गयी है। और कहा गया है कि बारह दिन से इमाम बाड़े पर ताला बन्दी की वजह से ट्रस्ट को डेढ़ करोड़ रूपये का नुकसान हुआ अगर हम तालाबन्दी न करते तो शायद क़ौम को ये भी मालूम न होता कि इमाम बाड़ों से कितनी आमदनी होती है अग़र ये आमदनी क़ौम के नवजवानों पर ख़र्च हो, उनकी शिक्षा के लिए ख़र्च हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है लेकिन वक़्फ का सारा पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक हर अधिकारी और सरकार के सुप्रीमो से लेकर मुख्य मंत्री तक पहुंचता है। कायदे मिल्लत ने कहा कि अगर F.I.R. में मुझे जेल भी होती है तो क़ौम की ज़िम्मेदारी है कि वक़्फ के इस आन्दोलन को ज़िन्दा रखे और आगें बढ़ाते रहें अब कामयाबी नज़दीक है और हमें कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता।

izns'k ljdkj uk fgUnqvksa dh gS vkSj u eqlyekuksa dh] ;s flQZ oksVksa dh ljdkj gS% dk;ns fefYyr ekSykuk dYcs tokn

1 जून को प्रदेश सरकार की दोहरी पॉलिसियों अक़लियतों के अधिकारों का नज़र अन्दाज़ करना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मन्सूबा बन्द साज़िशों के ख़िलाफ छोटे इमाम बाड़े लखनऊ में नमाज़े मग़रिब के बाद अज़ीमुश्शान एहतेजाजी मोज़ाहेरा किया गया जिस में उलमा–ए–कराम के साथ बड़ी संख्या में जनता मौजूद रही। जल्से को ख़िताब करते हुये मजलिसे उलमा–ए–हिन्द के जनरल सिक्रेट्री मौलाना सैय्यद कल्बे जवाद नक़वी ने कहा कि ये सरकार न हिन्दुओं की है और न मुसलमानों की इस सरकार ने न कोई काम हिन्दुओं के लिये किया है और न कोई काम मुसलमानों के लिये किया है। सरकार ने मुसलमानों से 18 प्रतिशत रिज़र्वेशन का वादा किया था मगर उस वादे का अब तक कहीं ज़िक्र भी नहीं किया सरकार में मौजूद नाम नेहाद मुसलमान लीडर भी ख़ामोश हैं। इसका मतलब यही है कि इन्हें भी मुसलमानों के हुकूक से कोई दिलचस्पी नहीं है ये लोग सिर्फ सरकार के ख़रीदे हुये हैं। प्रदेश सरकार सिर्फ अपने इलाके के यादव लोगों के लिये काम करती है दूसरे इलाकों के यादव ज़ात के लोगों के साथ भी धोका किया है।

पुलिस भर्ती में 90 प्रतिशत यादव अपने इलाके मैंनपुरी ,कन्नौज और एटा, के शामिल किये गये है ये दूसरे हिन्दुओं के साथ भी नाइन्साफ़ी है मौलाना ने कहा कि 200 से ज़्यादा दंगे कराने वाली सरकार न हिन्दुओं की है और न मुसलमानों की। इसके दामन पर मानवता के ख़ून के धब्बे हैं। मुसलमान इस सरकार में मज़लूम हैं। और सरकार जब चाहती है मुसलमानों का क़त्लेआम करा देती है। हर फ़साद में हिन्दू और मुसलमान दोनों मारे जाते हैं। और ये दंगे इस लिये कराये जाते हैं कि हिन्दू और मुसलमान एक जुट हो कर एक साथ न बैठे वरना उन्हें वोट कौन देगा और उनकी मानसिकता सामने आ जायेगी। मौलाना ने कहा कि सरकार चाहती है कि वक़्फ बोर्ड में हमेशा बेईमानी और कानून व्यवस्था का उलंघन करने वाले लोग रहें ताकि वो शिया वक़्फ की सम्पत्तियों को बर्बाद करते रहें। मुजरिमों और देशद्रोहियों को वक़्फ बोर्ड में लाया गया है। जिन को बोर्ड का सदस्य चुना गया उनकी जांच होनी चाहिए। वक़्फ बेचने वाले लोग सदस्य बनें हुये हैं। तो ऐसे लोग वक़्फ बोर्ड के हित में क्या काम करेंगे।

आल इण्डिया सुन्नी उलमा काउन्सिल के जनरल सिक्रेट्री हाजी मुहम्मद सलीस ने कहा कि समाज वादी सरकार के लगातार झूटे वादों से मुसलमान मायूस हो चुके हैं। सरकार का अन्याय और मुस्लिम दुश्मनी किसी से ढकी छुपी बात नहीं।

मुसलमानों ने इस सरकार को इस लिये वोट दिया था ताकि उन्हें उनके हुकूक मिल सकें, रिज़र्वेशन मिल सके, इस सरकार से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी थीं। मगर ये सरकार बिल्कुल निक्कमी सरकार साबित हुई मुसलमानों को इस सरकार ने सिर्फ महरूम रखा। 2017ई0 में समाज वादी सरकार अपनी ख़ैर मनाए। जल्से में दीगर आलिमों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे ।